(d) what further efforts Government propose to take to keep a watch on such illegal supply of ammunition to the terrorists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Some extremists who have been apprehended have disclosed, during interrogation, that they had received training in the handling of small arms and were provided with arms/ammunitions by Pakistan,

(c) Government take a serious view of these acts of Pakistan, which cannot but adversely affect our efforts to develop friendly relations with that country and hope that) the Government of Pakistan will desist from such acts.

(d) The security agencies concerned are required to be extremely vigilant and take appropriate action to apprehend the culprits.

**Requirements of heavy water in India**

381. SHRI PAWAN KUMAR BAN-SAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the quantity of heavy water presently needed to meet our requirements; and

(b) what are the sources thereof and what is the annual expenditure incurred therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECH-NOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Presently, heavy water is required for meeting the small make up requirements of RAPS and MAPS reactors. In addition, heavy water would also be required for meeting the initial charge for Narora prior to its going critical.

(b)' All the heavy water requirement is essentially met from indigenous sources, except for RAPS, for which heavy water is being received from USSR under an existing agreement. The lease and heavy water make up charge for running power plants in 1986-87 is estimated to be Rs. 4306.79 lakhs.

**संचार सेवाओं की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव**

382. **श्री शरद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1986 के नई दुनिया में "संचार सेवाओं की दरों में शीघ्र वृद्धि संभावित" (रेट्स आफ कम्युनिकेशन सर्विसेस लाइकली टू इन्क्रीज) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार संचार सेवाओं की दरों में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो वृद्धि कब तक और कितनी होने की संभावना है ?

**संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव)** :(क) जी हां, ।

(ख) और (ग) विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए दरों की पुनरीक्षा निरंतर की जाती रहती है । जब सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं की दरों में संशोधन करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, तो इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पड़ोसी राज्यों के गांवों से आने वाले दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को भत्तों का भुगतान

333. श्री सूरज भान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, अर्ह प्रतिभूति भत्ता तथा अन्य सुविधाओं जैसी सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो अपनी ड्यूटी करने के लिए सोनीपत, गुड़गांव गाजियाबाद तथा दिल्ली के अन्य पड़ोसी गांवों से दिल्ली आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ-कुछ जिलों के लिए मकान किराया भत्ता तथा अर्हता प्रतिभूति भत्ता दिये जाने की अनुमति है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो विभिन्न राज्यों के पड़ोसी गांवों से आने वाले कर्मचारियों को दिल्ली में रह रहे कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों के बराबर भत्ते दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) जी, हां, श्रीमन् ।

(ख) इन भत्तों का दिया जाना ड्यूटी के स्थान से संबंधित है, निवास स्थान से नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में बंगलादेशी राष्ट्रीय

384. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने बंगलादेशी राष्ट्रिक हैं जो भारत आकर असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, दिल्ली और पंजाब पहुंच गये हैं, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) स्वतंत्रता के पश्चात् कितने विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है ; और

(ग) अब तक कितने आतंकवादी और तस्कर गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) भारत-बंगलादेश सीमा की पर्याप्त लम्बाई को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में बंगला देश से होने वाली घुसपैठ को समाप्त नहीं किया जा सकता । ऐसे व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है । राज्यों को जैसे ही बंगलादेशी घुसपैठियों का पता लगे तो उनको बहार निकालने/वापस भेजने के स्थायी अनुदेश दिए गए हैं । जब भी उनका पता लगे विदेशी अधिनियम 1946 के तहत उनके विरुद्ध कारवाई करने की शक्तियां भी राज्य सरकारों में निहित हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार 1985 में 39,30 बंगलादेशी और 1986 (अक्तूबर, 1986 तक) में 36,240 बंगलादेशी जब वे भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें वापस भेजा गया था ।

(ख) 31-12-1985 तक 10,03,330 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-10-85 से 20-10-86 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य में 1271 उग्रवादी/आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं । गिरफ्तार किए गए तस्करों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

**Review of decision to increase theworking hours of Governmentemployees**

385. SHRI J. P. GOYAL: "Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to increase the working hours of the Central Government employees by half-an-hour daily;

(b) if so, what are the details in this regard and from which date the decision has been made effective;